(83) (207)

निग0-4060/2018/सीधी/भू.रा0

श्रीमान् श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर (सर्किट कोर्ट रीवा)

(म0प्र0)

रोशनलाल विश्वकर्मा पिता हरिनाथ विश्वकर्मा पेशा–खेती, निवासी ग्राम–पॉंड, तहसील–मझौली, जिला–सीधी (म0प्र0)

--------- आवेदक

बनाम

गुलाब साहू पिता राममनोहर साहू पेशा–खेती, निवासी ग्राम–पॉंड, तहसील–मझौली, जिला–सीधी (म0प्र0)

-------- अनावेदकगण

अधि0 श्री कामता प्र0 गुप्ता द्वारा पेश। 09.7.18

पुनरीक्षण (निगरानी) आदेश विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय सीधी (म0प्र0) के राजस्व प्रकरण कमांक–06/निगरानी/14–15 में पारित आदेश दिनांक 06–06–2018

अंतर्गत धारा–50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959ई0

मान्यवर,

पुनरीक्षण के आधार निम्नलिखित है :–

1. यह कि आवेदक भूमिहीन कृषक श्रमिक व्यक्ति है आवेदक द्वारा ग्राम–चौड़, की भूमि खसरा कमांक–1154/1237/2 रकवा 1.00 एकड़ अर्थात 0.405हे0 को कृषि योग्य सुधार करके काबिज था, आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील–मझौली, के समक्ष व्यवस्थापन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जहाँ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को प्र0क0–18/अ19(2)/1996/97 में पंजीबद्ध करके विधिवत् इस्तहार का प्रकाशन कराया गया और मौके की स्थिति का हल्का पटवारी से जॉंच प्रतिवेदन

रोशनलाल

(83)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 4060/2018/सीधी जिला– सीधी

रोशनलाल विरूद्ध गुलाब साहू

	(2)	(3)
16-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री कामता प्र0 गुप्ता अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कलेक्टर~~/ अपर कलेक्टर, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 06/निग0/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 06.06.18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29.3.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	